रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 1979/माघ 9, 1900

No. 50] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 1979/MAGHA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं. 5/79

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1979

का. आ. 57 (अ).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयात-व्यापार नियंत्रण आदेश सं. 9/78 दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के अन्तर्गत जारी किए गए खुले सामान्य लाइसेन्स 3/78 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. विस्कोस स्टेपल फाइबर और पालिस्टर फिलामेण्ट यार्न (बेस फ्लेट-प्रथम किस्म) के सम्बन्ध में वास्तविक उपयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आयात आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :—

"पात्र आयातकों को अपनी संविदाएं वस्त्र आयुक्त, बम्बई के साथ पंजीकृत करानी होंगी । आयात केवल तब किये जा सकेंगे जब कि वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा ऐसे पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में सम्बन्धित संविदाओं पर मोहर लगा दी गई हो । (इस उद्देश्य के लिए संविदा की दो प्रतियां वस्त्र आयुक्त को सौंपनी चाहिए और वह एक प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत मोहर लगा कर पार्टी को लौटायेगा) ।"

3. पॉलिस्टर फिलामेण्ट यार्न (बेस फ्लैट-प्रथम किस्म) के सम्बन्ध में खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आयात पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को वितरण के लिए राज्य रसायन एवं भेषज निगम, नई दिल्ली द्वारा भी उपर्युक्त पैरा 2 में निर्धारित संविदाओं के पंजीकरण की शर्त के अधीन किया जा सकता है ।

[मिसिल सं. आई पी सी/3/15/78]

का. वें शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

ORDER NO. 5/79

New Delhi, the 29th January, 1979

S.O. 57(E).—In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendment to OGL No. 3/78 issued under ITC Order No. 9/78 dated the 3rd April, 1978.

2. In respect of viscose staple fibre and polyster filament yarn (base flat-first quality), imports under Open General Licence by Actual Users (Industrial) shall be subject to the following further condition :—

"Eligible importers shall be required to register their contracts with the Textile Commissioner, Bombay. Imports shall be made only after the connected contracts have been stamped by the Textile Commissioner, Bombay as evidence of such registration. (For this purpose, two copies of the contract should be lodged with the Textile Commissioner and he will return one copy to the party duly stamped on each page.)"

3. In respect of polyester filament yarn (base flat-first quality), imports under Open General Licence can also be made by the State Chemicals and Pharmaceuticals, Corporation, New Delhi for distribution to eligible actual Users subject to the condition regarding registration of contracts laid down in para 2 above.

[F. No. IPC/3/15/78]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979